

4/10/22

प्राची अधिकारकर्ता उपस्थित। अप्राची संस्था 1 व 2 की तलवी प्राप्त हुई। प्राची अधिकारकर्ता के द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया। प्राची के द्वारा प्राथना पत्र में निवेदन किया गया कि उक्त अनवान प्रकरण में न्यायालय के द्वारा स्वयं आदेश पारित न कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। प्राची की भूमि की मौके एव रिकॉर्ड की भव्यस्थिति बदल जाती है, तो प्राची को काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड सकता है। इसलिए उक्त प्रकरण में स्वयं आदेश पारित किए जाने का श्रेय करें। प्रस्तुत प्राथना पत्र पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से प्रथम इण्टिया मामला सुविधा का संतुलन, शिट एव टाइटल प्राची के पक्ष में बनने नहीं पाए जाते हैं। लिहाजा प्राची का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 TA. व 151 CPC खारिज किया जाता है।

पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम कर झलवाद के साथ संलग्न



*(Handwritten signature)*